



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237058
CG-DL-E-04072022-237058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]
No. 470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/ आषाढ़ 10, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

स्थापना II अनुभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सा.का.नि. 504(अ) -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकरण" से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "कर्तव्य पद" से अनुसूची I में सम्मिलित एक पद से अभिप्रेत है;

(घ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" और प्रयोज्यता का वही अर्थ होगा जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.36039/1/2019-स्था.(आरईएस) तारीख 19 जनवरी, 2019 में निर्धारित के अनुसार अधिकथित किया गया है;

(ड) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) "श्रेणी" से अनुसूची I के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवा की एक श्रेणी अभिप्रेत है;

(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का वही अर्थ और प्रयोज्यता होगा जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) तारीख 8 सितंबर, 1993 में निर्धारित के अनुसार अधिकथित किया गया है;

(ज) "नियमित निरंतर सेवा" से यथास्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर या आयोग के परामर्श से उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के पश्चात् निरंतर आधार पर की गई सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न एक अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "अनुसूचित जाति" तथा "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24)

और (25)

में क्रमशः उन्हें समनुदिष्ट किए गए हैं;

(ट) "वरिष्ठ कर्तव्य पद" से स्तर 11 में तथा इसके ऊपर पद अभिप्रेत है;

(ठ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' अभिप्रेत है।

3. **सेवा का गठन-** अनुसूची I में यथानिर्दिष्ट सेवा में सम्मिलित सभी कर्तव्य पदों से मिलकर केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' गठित होगा।

4. **श्रेणी, अधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन-**(1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा की विभिन्न श्रेणियों की अधिकृत स्थायी संख्याश में पदों की संख्या अनुसूची I में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक स्तर में होगी।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, सेवा की विभिन्न श्रेणियों की अधिकृत स्थायी संख्या समय-समय पर व्यय विभाग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जा सकती है।

(3) नियंत्रण प्राधिकरण, आयोग तथा सरकार (वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के साथ परामर्श से, सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष के अधीन रहते हुए, जो भी लागू हो, समय समय पर जैसा वह समझे विभिन्न श्रेणियों में पदों की संख्या में अस्थायी बढ़ोतरी या कमी कर सकता है।

(4) नियंत्रण प्राधिकरण, आयोग तथा सरकार (वित्त मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के साथ परामर्श से सेवा में ऐसे पदों को सम्मिलित कर सकता है, जो प्रास्थिति, ग्रेड, स्तर और वैयक्तिक सामग्री के समकक्ष हों और जो अनुसूची I में सम्मिलित के सिवाय या उक्त अनुसूची में सम्मिलित सेवा से एक पद को छोड़कर हो।

(5) नियंत्रण प्राधिकरण, आयोग के परामर्श से, एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है जिसका पद अस्थायी क्षमता या एक वास्तविक क्षमता में समुचित श्रेणी के लिए उपधारा (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, जैसा कि वह उचित समझे और समय समय पर सरकार द्वारा जारी साधारण आदेशों और निर्देशों के अनुरूप ऐसी श्रेणी में उसकी वरिष्ठता तय कर सकता है।

5. **सदस्यों की सेवा-** निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) संबंधित ग्रेड में इन नियमों के प्रारंभ होने पर समूह 'क' में पदों पर केंद्र में नियमित आधार पर कार्यरत सभी विद्यमान अधिकारी इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क'; और

(ii) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति

6. **सेवा में भर्ती की पद्धति-**(1) अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणियों के रिक्त पद इन नियमों में उपबंध की गई रीति से भरा जाएगा।

(2) सहायक कार्यपालक अभियंता की श्रेणी में सभी रिक्तियों को अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और आयु-सीमा के आधार पर, आयोग द्वारा आयोजित अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधा भर्ती द्वारा किया जाएगा।

(3) महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव, अपर महानिदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता

और कार्यपालक अभियंता के पदों की सेवा में नियुक्ति को अनुसूची III में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता सेवा वाले संबंधित श्रेणी के अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची IV में निर्दिष्ट एक विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर किया जाएगा।

7. **अकृत्यिक प्रोन्नति प्रदान करना** - (1) अकृत्यिक प्रोन्नति सेवा के सदस्यों को समय समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुरूप तथा अनुसूची V के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट विभागीय छानबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा सकता है।

(2) उच्चतम श्रेणी के वेतन स्तर के लिए छानबीन के समय एक विशेष श्रेणी वेतन प्रोन्नति करने के लिए उपलब्धि सहित सभी नियत पात्रता मानदंड तथा प्रोन्नति मानदंड को पूरा करना होगा।

8. **वरिष्ठता** - (1) सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता उनकी संबंधित श्रेणियों में, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले निर्धारित के अनुसार सापेक्ष वरिष्ठता होगी:

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठता अवधारित नहीं की गई हो, तो इसे नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा समय समय पर सरकार द्वारा वरिष्ठता पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुरूप निर्धारित किया जा सकती है।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता समय समय पर सरकार द्वारा वरिष्ठता पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुरूप अवधारित किया जा सकती है।

9. **परिवीक्षा** - (1) सहायक कार्यपालक अभियंता (सीधी भर्ती द्वारा) एवं सहायक अभियंता (समूह 'ख' पद) से कार्यपालक अभियंता की श्रेणी में सेवा में प्रोन्नत किए गए कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी:

परन्तु इस संबंध में, नियंत्रण प्राधिकरण समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय असाधारणतया पर परिवीक्षा की पहले की अवधि समाप्त होने के पश्चात आठ वर्ष के भीतर और उक्त अवधि में ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारियों को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तार के पूरा होने पर, अधिकारियों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति में बनाए रखा जाएगा और उपलब्ध मूल रिक्ति के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, स्थायीकरण किया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, जैसा भी मामला हो, सरकार की राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह अधिकारी को सेवामुक्त कर सकती है या सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेज सकती है, जैसा भी मामला हो।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार द्वारा एक अधिकारी से प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरने या ऐसी परीक्षा या परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो सकती है जो सरकार परिवीक्षा को संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में उचित समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य समय-समय पर इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

10. **सेवा में नियुक्ति** - सेवा में सभी नियुक्तियां सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सभी कर्तव्य पदों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

11. **भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व और अन्य सेवा शर्तों** - (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) सेवा में नियुक्त एक अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से जुड़े किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि, यदि कोई हो, सम्मिलित होता है:

परन्तु ऐसा अधिकारी, -

(क) किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से जुड़े किसी पद पर सेवा की नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर या सेवा के प्रारंभिक गठन से पहले उसके सम्मिलित होने की तारीख से सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से जुड़े किसी पद पर सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(3) सेवा के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें, जो इन नियमों के अधीन नहीं आती हैं, सरकार के समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों के लिए सामान्य रूप से लागू नियमों द्वारा शासित होंगी।

12. निरहताएं - ऐसा कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के तहत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है।

13. शिथिल करने की शक्तियाँ - जहाँ सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसाद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन - इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

16. यांत्रिक संवर्ग से चरणबद्ध रूप से बाहर होना- (1) यांत्रिक संवर्ग को वर्तमान पदधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा।

(2) यांत्रिकी के पदों को उनकी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पद धारण करने वाले अधिकारी की प्रोन्नति पर चरणबद्ध रीति से समाप्त किया जाना है और उसके बाद रिक्त छोड़े गए पदों को सिविल संवर्ग में मिला दिया जाएगा।

17. वृत्ति के मध्य प्रशिक्षण.- (1) कार्यपालक इंजीनियर से अधीक्षण इंजीनियर, अधीक्षण इंजीनियर से मुख्य इंजीनियर तथा मुख्य इंजीनियर से अपर महानिदेशक तक प्रोन्नति के लिए विभिन्न चरणों में वृत्ति के मध्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आज्ञापक है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होगा।

अनुसूची I

[नियम 3, 4 और 6(1) देखें]

केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

क्र. सं.	श्रेणी	पदों की संख्या *	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
भाग 1 सिविल अभियांत्रिकी			
1.	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव, भारत सरकार।	1	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 (रुपए 225000 निश्चित)
2.	अपर महानिदेशक।	5	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (रुपए 182200-224100)

3.	मुख्य इंजीनियर (सिविल)।	23	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रुपए 144200-218200)
4.	अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)।	59	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रुपए 123100-215900)
5.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (अकृत्यिक द्वितीय चयन श्रेणी)।	**	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रुपए 78800-209200)
6.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	67	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रुपए 67700-208700)
7.	कनिष्ठ टाईम स्केल + प्रतिनियुक्ति के लिए संरक्षित # सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	78	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रुपए 56100-177500)
भाग II यांत्रिक इंजीनियरिंग			
8.	मुख्य इंजीनियर (यांत्रिक)।	1	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रुपए 144200-218200)
9.	अधीक्षक इंजीनियर (यांत्रिक)।	5	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रुपए 123100-215900)
10.	कार्यकारी इंजीनियर (यांत्रिक)। (अकृत्यिक द्वितीय चरण श्रेणी)।	**	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रुपए 78800-209200)
11.	कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक)@।	3	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रुपए 67700-208700)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

@ स्तर 12 में गैर-कार्यात्मक ग्रेड पद भी सम्मिलित।

** अकृत्यिक द्वितीय चरण श्रेणी में पदों की संख्या, संवर्ग में ज्येष्ठ कर्तव्य पदों (अर्थात् स्तर 11 और उससे ऊपर के पद) के तीस प्रतिशत तक सीमित होगी। संवर्ग की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी और "अकृत्यिक द्वितीय चयन श्रेणी" में संचालित होने वाले पदों की संख्या कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

#- विशेष प्रतिनियुक्ति रिजर्व के रूप में सेवा के 86 पदों का संवर्ग संख्या से बाहर प्रतिनियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी भी श्रेणी में उपयोग किया जाएगा। तदनुसार, संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान स्तर अर्थात् सहायक कार्यपालक इंजीनियर पर भर्ती इस शर्त के अधीन होगी कि किसी भी समय प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए संवर्ग की कुल संख्या 242 से अधिक नहीं होगी। तथापि, भर्ती कुल 328 पदों (242+86) के लिए की जा सकती है।

अनुसूची II

[नियम 6(2) देखें]

आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सेवा में सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं आयु सीमा।

परीक्षा में प्रवेश के लिए नियम या विनियम और शर्तें सरकार या आयोग द्वारा समाचार पत्रों या रोजगार समाचार में समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

श्रेणी या कर्तव्य पद	भर्ती की पद्धति	पात्रता मापदंड
(1)	(2)	(3)
सहायक कार्यपालक इंजीनियर वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रुपए 56100-177500/-)	आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	एक अभ्यर्थी जिसने - (क) (I) निम्नलिखित से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारित की है - (i) भारत में संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय; या (ii) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक संस्था; या (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत

		<p>विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाने वाला संस्थान; या</p> <p>(II) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की इंस्टीट्यूशन परीक्षाओं के भाग क और ख उत्तीर्ण किए हों; या</p> <p>(III) और ऐसी शर्तों के अधीन सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो; तथा</p> <p>(ख) जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती है, उस वर्ष के 1 अगस्त को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।</p>
--	--	---

टिप्पण 1.- आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी।

टिप्पण 2.- सरकारी सेवक के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार आयु में पांच वर्ष तक की छूट है।

टिप्पण 3.- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित में कारणों को दर्ज करने के लिए आयोग के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है।

अनुसूची III

[नियम 6(3) देखें]

सेवा के विभिन्न श्रेणी में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगले निचले श्रेणी में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हता सेवा।

भाग I – सिविल अभियांत्रिकी

क्र. सं.	श्रेणी या कर्तव्य पद	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 (रु. 225000 निश्चित)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	अपर महानिदेशक - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (182200-224100 रुपये) में अतिरिक्त महानिदेशक के श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा
2.	अपर महानिदेशक - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (रु. 182200-224100)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 - (144200-218200 रुपये) में श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ मुख्य इंजीनियर (सिविल) या समूह 'क' पदों में 25 वर्ष की नियमित सेवा के साथ मुख्य इंजीनियर (सिविल) जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा मुख्य इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में होनी चाहिए
3.	मुख्य इंजीनियर (सिविल) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 - (रु. 144200-218200)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 - (123100-215900 रुपये) वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)। अथवा सेवा में समूह 'क' पदों में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा के साथ अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा स्तर 13 में होनी चाहिए

4.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 - (रु. 123100-215900)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 - (78800 - 209200 रुपये) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 - (रु. 78800-209200) में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के गैर-कार्यात्मक द्वितीय श्रेणी में प्रदान की गई नियमित सेवा, यदि कोई हो, सहित सेवा में समूह 'क' पदों पर नियमित सेवा के तेरह वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिनमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा स्तर 11 (रु. 67700-208700) में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में होनी चाहिए।
5.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (अकृत्यिक द्वितीय चरण श्रेणी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 - (रु. 78800-209200)	उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति	श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 - (रु. 67700-208700) में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)

6.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 - (रु. 67700-208700)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	(i) ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) - स्तर 10 - (56100-177500 रुपये) के ग्रेड से 90 प्रतिशत। (ii) ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु. 44900-142400) सहायक इंजीनियर में से 10 प्रतिशत।
7.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 - (रु. 56100-177500)	आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

भाग-II यांत्रिक अभियांत्रिकी

क्र. सं.	श्रेणी अथवा कर्तव्य पद	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य इंजीनियर (यांत्रिक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 - (रु. 144200-218200)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 - (123100-215900 रुपये) या सेवा में समूह 'क' पदों में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा के साथ अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिकी) जिसमें से सेवा में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा स्तर 13 में होनी चाहिए
2.	अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 -	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 - (78800 - 209200 रुपये) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 - (रु. 78800-209200) में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)

	(रु. 123100-215900)		के गैर-कार्यात्मक द्वितीय श्रेणी में प्रदान की गई नियमित सेवा, यदि कोई हो, सहित सेवा में समूह 'क' पदों पर नियमित सेवा के तेरह वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिनमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा स्तर 11 (रु. 67700-208700) में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में होनी चाहिए।
3.	कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिकी) (गैर कार्यात्मक द्वितीय ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 -(रु. 78800-209200)	उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति	ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 - (रु. 67700-208700) में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)

नोट.- जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु कि वे ऐसी योग्यता या पात्रता के आधे से अधिक अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों, सेवा, या दो वर्ष, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

अनुसूची IV

[नियम 6 (4) देखिए]

सेवा में प्रोन्नति व स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए समूह विभागीय 'क' प्रोन्नति समिति की संरचना

क्रम संख्या	पद का नाम	समूह 'क' प्रोन्नतिसमिति (प्रोन्नति हेतु विचार करते हुए)	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति(स्थायी पद के लिए विचार)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महानिदेशक (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय -सदस्य; 3. सचिव, दूरसंचार विभाग -सदस्य;	लागू नहीं होता
2.	अपर महानिदेशक	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय - सदस्य; 3. महानिदेशक (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता
3.	मुख्य इंजीनियर	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय - सदस्य;	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	पद का नाम	समूह 'क' प्रोन्नतिसमिति (प्रोन्नति हेतु विचार करते हुए)	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति(स्थाई पद के लिए विचार)
		3. महानिदेशक (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव -सदस्य	

4.	अधीक्षण इंजीनियर	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. महानिदेशक - सदस्य ; (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव 3. संयुक्त सचिव(प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता
5.	कार्यपालक इंजीनियर (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
6.	कार्यपालक इंजीनियर	<p>सहायक कार्यकारी इंजीनियरो मे से प्रोन्नति हेतु:</p> <p>1. महानिदेशक (सड़क) विकास तथा विशेष सचिव - अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य</p> <p>सहायक इंजीनियरो के श्रेणी 'ख' से प्रोन्नति हेतु:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p> <p>प्रोन्नत सहायक इंजीनियरो (श्रेणी 'ख') अधिकारियों के स्थाई पदों की पुष्टि हेतु :</p> <p>1. महानिदेशक (सड़क) विकास तथा विशेष सचिव - अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर- सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य;</p>
7.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर	लागू नहीं होता	1. महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव - अध्यक्ष;

			<p>2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर- सदस्य;</p> <p>3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य;</p>
--	--	--	--

अनुसूची V

[नियम 7 देखिए]

सेवा में अकृत्यिक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिये छानबीन समिति संरचना

क्रम संख्या	पद का नाम	अकृत्यिक दूसरा श्रेणी प्रदान करने के लिए छानबीन समिति की संरचना	अकृत्यिक प्रोन्नति प्रदान करने के लिए छानबीन समिति संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अपर महानिदेशक	लागू नहीं होता	<p>1. सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. सचिव, जलमार्ग मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. महानिदेशक (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव - सदस्य;</p>
2.	मुख्य इंजीनियर	लागू नहीं होता	<p>1. सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय- अध्यक्ष;</p> <p>2. महानिदेशक (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव, -सदस्य;</p> <p>3. अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय - सदस्य;</p>

3.	अधीक्षण इंजीनियर	लागू नहीं होता	1. सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. महानिदेशक (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव -सदस्य; 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य
4.	कार्यपालक इंजीनियर (अकृत्यिक दूसरा श्रेणी)	लागू नहीं होता	1. महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव - अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव(प्रशासन) -सदस्य
5.	कार्यपालक इंजीनियर	1. महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव - अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव - (प्रशासन) सदस्य;	लागू नहीं होता

फा.सं. ए-12025/03/2017-ई.॥

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Establishment II Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

G.S.R. 504 (E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Road Transport and Highways, Central Engineering Service (Roads) Group 'A' Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Central Engineering Service (Roads) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (b) "controlling authority" means the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India;
- (c) "duty post" means a post included in Schedule I;
- (d) "Economically Weaker Sections" shall have the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training O.M. No. F.36039/1/2019- Estt.(Res) dated the 19th January,2019;
- (e) "Government" means the Government of India;
- (f) "Grade" means a Grade of the service specified in column 2 of Schedule I;
- (g) "Other Backward Classes" shall have the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT), dated the 8th September ,1993;
- (h) "regular continuous service" means service rendered on continuous basis after regular appointment to a grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee or in consultation with the Commission, as the case may be;
- (i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (j) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;
- (k) "senior duty post" means posts in level 11 and above;
- (l) "Service" means the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' constituted under rule 3 of these rules.

3. Constitution of Service.- All duty posts included in the Service as specified in Schedule - I shall constitute the Central Engineering Service (Roads) Group 'A'.

4. Grade, authorised strength and its review.- (1) The authorised permanent strength of various grades of the Service on the commencement of these rules, the number of posts in each level shall be as specified in Schedule I.

(2) On and from the commencement of these rules, the authorised permanent strength of various grades of the service shall be as may be determined by the Central Government through the established procedure laid by the Department of Expenditure and the Department of Personnel and Training, from time to time.

(3) The controlling authority may, in consultation with the Commission and the Government (the Ministry of Finance, Department of Expenditure, wherever applicable, and the Department of Personnel and Training), make temporary addition to or reduction in the strength of the posts in various grades as it may deem necessary, from time to time, subject to any general or special orders issued by the Government.

(4) The controlling authority may, in consultation with the Commission and the Government (the Ministry of Finance and the Department of Personnel and Training), include in the Service such posts as may be equivalent to the posts included in the Service in status, Grade, level and professional content, other than those included in Schedule I, or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The controlling authority may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate Grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as it may deem fit and fix his seniority in such Grade in accordance with the general orders and instructions issued by the Government, from time to time.

5. Members of Service.- The following persons shall be members of the Service, namely:-

- (i) all the existing officers holding Group 'A' duty posts on regular basis in the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' on the commencement of these rules, in the respective grades; and
- (ii) persons appointed to duty post under rule 6.

6. Method of recruitment to service.- (1) The vacant posts in any of the grades referred to in Schedule I shall be filled in the manner provided in these rules.

(2) All vacancies in the Grade of Assistant Executive Engineer shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Engineering Services Examination conducted by the Commission, on the basis of educational qualifications and age-limits as specified in Schedule II.

(3) Appointments in the Service to the posts of Director General (Road Development) and Special Secretary, Additional Director General, Chief Engineer, Superintending Engineer and Executive Engineer shall be made by promotion from amongst the officers of the respective discipline with minimum qualifying service specified in Schedule III.

(4) The selection of officers for promotion shall be made on the recommendation of a Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV.

7. Grant of Non Functional Up-gradations.- (1) Non-functional upgradation may be granted to Members of the Service in accordance with the orders or instructions issued by the Government, from time to time, and on the basis of recommendations of Departmental Screening Committee specified in Column (4) of Schedule V.

(2) All prescribed eligibility criteria and promotion norms including benchmark for upgradation to a particular Grade pay shall have to be fulfilled at the time of screening for higher Grade pay level.

8. Seniority. – (1) The relative seniority of the members of the Service shall be the relative seniority in their respective Grades as already determined before the commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Controlling authority in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government, from time to time.

(2) The seniority of persons appointed to various Grades of the Service on and from the commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government, from time to time.

9. Probation.- (1) Every officer on appointment to the Service in the Grade of Assistant Executive Engineer (by direct recruitment) and Executive Engineer who are promoted from the post of Assistant Engineer (Group 'B' post) shall be on probation for a period of two years:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government, from time to time, in this regard:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or an extension thereof, officers shall, if considered fit for the permanent appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancy, as the case may be.

(3) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge the officer or revert to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by the Government to undergo such courses of training or pass such examination or test as the Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the orders or instructions, issued by the Government in this regard, from time to time.

10. Appointment to the Service.- All appointments to the Service shall be made by the controlling authority for all the duty posts in various Grades of the Service.

11. Liability for service in any part of India and other service conditions.- (1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) An officer appointed to the Service, if so required shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training if any:

Provided that such officer,-

(a) shall not be required to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, on expiry of ten years from the date of his appointment of the service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the service;

(b) shall not ordinarily be required to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, if he has attained the age of forty years.

(3) The other conditions of service of the members of the Service, not covered by these rules, shall be governed by the rules applicable generally to the officers of the Government of equivalent grade.

12. Disqualifications.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Powers to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Benchmark Disabilities, Ex-servicemen, Economically Weaker Sections and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government, from time to time, in this regard.

15. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

16. Phasing out of Mechanical Cadre.- (1) Mechanical Cadre shall be phased out without adversely affecting the present incumbents.

(2) The posts of the Mechanical Cadre are to be phased out on their superannuation, resignation or promotion of the officer holding the post and the posts left vacant thereafter shall be merged with the Civil Cadre.

17. Mid-career training.- (1) Mid-career training course in different phases is mandatory for promotions from Executive Engineer to Superintending Engineer, Superintending Engineer to Chief Engineer and Chief Engineer to Additional Director General.

(2) The training referred to in sub-rule (1) shall be governed by orders or instructions, issued by the Government in this regard, from time to time.

Schedule I

[See rules 3, 4 and 6(1)]

Name, number and Level of duty posts included in various grades of Central Engineering Service (Roads) Group 'A'

Sl. No.	Grade	Number of posts*	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Part I Civil Engineering			

1.	Director General (Road Development) and Special Secretary to the Government of India.	1	Level 17 (Rs. 225000 fixed) in the pay matrix
2.	Additional Director General.	5	Level 15 (Rs. 182200-224100) in the pay matrix
3.	Chief Engineer (Civil).	23	Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix
4.	Superintending Engineer (Civil).	59	Level 13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix
5.	Executive Engineer (Civil). (Non Functional Second Grade).	**	Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix
6.	Executive Engineer (Civil)@.	67	Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix
7.	Junior Time Scale + Deputation Reserve# Assistant Executive Engineer (Civil).	78	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix
Part II Mechanical Engineering			
8.	Chief Engineer (Mechanical).	1	Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix
9.	Superintending Engineer (Mechanical).	5	Level 13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix
10.	Executive Engineer (Mechanical). (Non Functional Second Grade).	**	Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix
11.	Executive Engineer (Mechanical)@..	3	Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix

*Subject to variation dependent on workload.

@Include also the Non Functional grade posts in level 12.

**The number of posts in Non Functional Second Grade, shall be restricted to thirty percent of the senior duty posts in the cadre (i.e. posts in level 11 and above). There will be no increase in overall strength of the cadre and the number of posts to be operated in the "Non Functional Second Grade" shall not exceed the number of posts sanctioned in the grade of Executive Engineer.

#- 86 posts of the Service as Special Deputation Reserve to be utilised at any grade for the purpose of deputation outside the cadre strength. Accordingly, recruitment to be made at Junior Time Scale level i.e. Assistant Executive Engineer in the cadre subject to the condition that the total Cadre strength for the purpose of promotion at any point of time shall not exceed 242. However, recruitment can be made against a total of 328 posts (242+86).

Schedule II

[See rule 6(2)]

Minimum educational qualification and age-limit for direct recruitment to the post of Assistant Executive Engineer in the Service on the basis of competitive examination to be conducted by the Commission.

The rules or regulations and conditions for admission to the examination will be as notified by the Government or the Commission in the Newspapers or Employment News, from time to time.

Grade or duty posts.	Method of recruitment.	Eligibility Criteria.
(1)	(2)	(3)
Assistant Executive Engineer Level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the Pay Matrix.	By direct recruitment through the Engineering Service Examination conducted by the Commission.	<p>A candidate who -</p> <p>(a) (I) possesses a degree in Civil Engineering from -</p> <p>(i) a University established by an Act of the Parliament or State Legislature in India; or</p> <p>(ii) an Institution established by an Act of Parliament; or</p> <p>(iii) an Institution declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or</p> <p>(II) passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or</p> <p>(III) obtained a degree or diploma in Engineering from such foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose, from time to time; and</p> <p>(b) attained the age of 21 years but not have attained the age of 30 years on the 1st day of August of the year in which the examination is held.</p>

Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Commission.

Note 2 .- Age is relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Government from time to time.

Note 3.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

Schedule III

[See rule 6(3)]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in various grades of the Service.

PART I - Civil Engineering

Sl. No.	Grade or duty posts.	Method of recruitment.	Field of selection and minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General (Road Development) and Special Secretary- Level 17 (Rs. 225000 fixed) in the pay matrix.	Promotion on selection basis.	Additional Director General - Level 15 (Rs. 182200-224100) in the pay matrix with minimum two years of regular service in the grade of Additional Director General.
2.	Additional Director General - Level 15 (Rs. 182200-224100)	Promotion on selection basis.	Chief Engineer (Civil) in Level 14 - (Rs. 144200-218200) in the pay matrix with three years' regular service in the grade or Chief Engineer (Civil) with 25 years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year regular Service should be in the grade of Chief

	in the pay matrix.		Engineer (Civil).
3.	Chief Engineer (Civil) Level 14 - (Rs. 144200-218200) in the paymatrix	Promotion on selection basis.	Superintending Engineer (Civil) Level 13 - (Rs. 123100-215900) in the pay matrix with three years regular service in the grade. or Superintending Engineer (Civil) with seventeen years regular Service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year of regular service should be in Level 13 .
4.	Superintending Engineer (Civil) Level 13 - (Rs. 123100-215900) in the pay matrix.	Promotion on selection basis.	Executive Engineer (Civil) Level 12 - (Rs. 78800 - 209200) in the pay matrix. who have completed thirteen years of regular Service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years of regular service should be in the grade of Executive Engineer (Civil) in Level 11 - (Rs. 67700- 208700) in the pay matrix including regular service, if any, rendered in the Non-functional Second grade of the Executive Engineer (Civil) in Level 12 - (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.
5.	Executive Engineer (Civil) (Non Functional Second Grade) Level 12 - (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.	Placement on seniority basis subject to suitability.	Executive Engineers (Civil) Level 11 - (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.

6.	Executive Engineer (Civil) Level 11 - (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.	Promotion on selection basis.	(i) 90 percent from the grade of Assistant Executive Engineer (Civil) Level 10 - (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with four years' regular service in the grade. (ii) 10 percent from amongst Assistant Engineer Level 7 - (Rs. 44900-142400) in the pay matrix of the Ministry of Road Transport and Highways with seven years' regular service in the grade and having degree in Civil Engineering from a recognised University or Institution.
7.	Assistant Executive Engineer (Civil) Level 10 - (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.	By direct recruitment through the Engineering Service Examination Conducted by the Commission.	Not applicable.

PARTI-II Mechanical Engineering

Sl. No.	Grade or duty posts.	Method of recruitment.	Field of selection and minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Mechanical) Level 14 - (Rs. 144200-218200) in the pay matrix	Promotion on selection basis.	Superintending Engineer (Mechanical) Level 13 - (Rs. 123100-215900) in the pay matrix with three years regular service in the grade or Superintending Engineer (Mechanical) with seventeen years regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year of regular service should be in Level 13 .

2.	Superintending Engineer (Mechanical) Level 13 - (Rs. 123100-215900) in the pay matrix.	Promotion on selection basis.	Executive Engineer (Mechanical) who have completed thirteen years of regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years of regular service should be in the grade of Executive Engineer in Level 11 - (Rs. 67700-208700) in the pay matrix including regular service, if any, rendered in the Non-functional Second grade of the Executive Engineer in Level 12 - (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.
3.	Executive Engineer (Mechanical) (Non Functional Second Grade) Level 12 - (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.	Placement on seniority basis subject to suitability.	Executive Engineers (Mechanical) Level 11 - (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.

Note :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Schedule IV
[See rule 6 (4)]

Composition of Group 'A' Departmental Promotional Committee for considering cases of promotion and confirmation in the Service.

Sl. No.	Name of the post.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion).	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation).
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General (Road Development) and Special Secretary.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Member; 3. Secretary, Department of Telecom - Member.	Not applicable.
2.	Additional Director General.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Member; 3. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member;	Not applicable.

3.	Chief Engineer.	<p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman;</p> <p>2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Member;</p> <p>3. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member</p>	Not applicable.
4.	Superintending Engineer.	<p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman;</p> <p>2. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member ;</p> <p>3. Joint Secretary (Admn.) - Member</p>	Not applicable.
5.	Executive Engineer (Non Functional Second Grade).	Not applicable.	Not applicable.
6.	Executive Engineer.	<p>For promotion from amongst Assistant Executive Engineers:</p> <p>1. Director General (Road) Development and Special Secretary -Chairman;</p> <p>2. Additional Director General or Chief Engineer - Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary(Administration) - Member.</p> <p>For promotion from Group 'B' posts of Assistant Engineers:</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman;</p> <p>2. Additional Director General or Chief Engineer - Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary(Administration) - Member.</p>	<p>Not applicable.</p> <p>For confirmation of the officers promoted from the post of Assistant Engineer (Group 'B')</p> <p>1. Director General (Road Development) and Special Secretary - Chairman;</p> <p>2. Additional Director General/ Chief Engineer - Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary (Admn.) - Member.</p>
7.	Assistant Executive Engineer.	Not applicable.	<p>1. Director General (Road Development) and Special Secretary - Chairman;</p> <p>2. Additional Director General/ Chief Engineer - Member;</p>

			3. Director or Deputy Secretary (Admn.) - Member.
--	--	--	---

Schedule V
[See rule 7]

Composition of Screening Committee for considering cases of Non-functional upgradation in the Service.

Sl. No.	Name of the post.	Screening Committee Composition for grant of Non-functional Second Grade.	Screening Committee Composition for grant of Non-functional Upgradation.
(1)	(2)	3	(4)
1.	Additional Director General.	Not applicable.	1. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Chairman; 2. Secretary, Ministry of Shipping - Member; 3. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member.
2.	Chief Engineer.	Not applicable.	1. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Chairman; 2. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member; 3. Additional Secretary and Financial Advisor / Additional Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Member.
3.	Superintending Engineer.	Not applicable.	1. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Chairman; 2. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member; 3. Joint Secretary (Admn.) -Member.
4.	Executive Engineer (Non Functional Second Grade).	Not applicable.	1. Director General (Road Development) and Special Secretary -Chairman; 2. Additional Director General /Chief Engineer-Member; 3. Joint Secretary (Admn.) -Member.
5.	Executive Engineer	1. Director General (Road Development)	Not applicable.

		and Special Secretary -Chairman; 2. Additional Director General / Chief Engineer -Member; 3. Joint Secretary (Admn.) – Member.	
--	--	--	--

F.No. A-12025/03/2017-E.II
KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.